प्रबन्धक,

मदर मरियम ग्लोबल स्कूल खरहरवा कोल्हुई बाजार
बृजमनगंज–महराजगंज।

पत्रांक/अंग्रेजी मान्यता/ 9728-31 2017–18/ दिनांक 28/12/17

विषय:–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 20.07.2017 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश एवं शासनादेश संख्या:419/79–6–2013–18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित निर्देशानुसार मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णय दिनांक 30.11.2017 को लिये गये निर्णय के फलस्वरुप मदर मरियम ग्लोबल स्कूल खरहरवा कोल्हुई बृजमनगंज, जनपद–महराजगंज को प्री–प्राइमरी से 8 तक अंग्रेजी माध्यम की अस्थायी मान्यता दिनांक 01.12.2017 से दिनांक 31.12.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है–

01–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप से कक्षा–8 के पश्चात् मान्यता/संबध करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

02–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

03–विद्यालय कक्षा–1 में (यथास्थिति प्री–प्राइमरी से कक्षा 8 में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

04–पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

05–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसमें माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

06–विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः ....2 पर

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जायेगा।

(iii) प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।

(iv) प्राइमरी स्तर तक की शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना है।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे:

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।

07–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

08–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:–144800 Sq.ft
कुल निर्मित क्षेत्र	:–44800 Sq.ft
क्रीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल	:–खेल का मैदान पर्याप्त है।
कक्षाओं की संख्या	:–10
प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय सह भांडागार के लिये कक्ष	:–04
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	:–10
पेयजल सुविधा	:–01
मिड–डे मील पकाने के लिये रसोई	:–निर्मित है।
बाधारहित पहुँच	:–मार्ग उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।

09–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जायेगी।

10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड अकाउंटेट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और

क्रमशः ....3 पर

Scanned by TapScanner

उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14–आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड **संख्याक-40** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।

15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिये जारी किये जायें।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17–विद्यालय में कोई अध्यापक विभागीय नियमानुसार अप्रशिक्षित पाये जाने की दशा में विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

18–बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य पुस्तकें ही पढ़ायी जायें।

19–विद्यालय का संचालन शासन/विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

20–बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के कोई भी वर्ग संचालित/बंद न किया जाये।

(जगदीश प्रसाद शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।

पृ0सं0/अंग्रेजी मान्यता/ /2017–18 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–जिला समाज कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, महराजगंज।
2–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद–महराजगंज।
3–कार्यालय गार्ड फाइल हेतु।

(जगदीश प्रसाद शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
महराजगंज।